न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur 2018-017 (GCMS2018-003323) PDR 23A Ms Shankarlal Vs Distt Collector (LC) Jodhpur

मैसर्स शंकरलाल विश्नोई
70 मानवीय नगर, गोल्फ कोर्स
एयर फोर्स एरिया, रातानाडा
जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. जिला कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण)
   जोधपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता
   जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
   वृत जैसलमेर
   जरिये जिला कलेक्टर, जैसलमेर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 23(ए) राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम 1952 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर दिनांक 12 अप्रेल 2018 प्रकरण संख्या 1/2013 अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जैसलमेर बनाम मैसर्स शंकरलाल विश्नोई

उपस्थित-

श्री परमवीरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी, 2023

अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2013 अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जैसलमेर बनाम मैसर्स शंकरलाल विश्नोई में राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम 1952, जिसे आगे अधिनियम 1952 कहा गया है, की धारा 8 के तहत पारित आदेश दिनांक 12 अप्रेल 2018 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष अधिनियम, 1952 की धारा 23(ए) के तहत दिनांक 03 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की गयी है। साथ ही भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने अधिनियम, 1952 की धारा 8 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अप्रार्थी-अपीलाण्ट फर्म से बकाया राशि रूपये 2,50,88,434/- की अधिनियम, 1952 के तहत वसूली की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित किया जाकर अधिनियम 1952 के प्रपत्र संख्या 2 व 3 में प्रमाण पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी-अपीलाण्ट फर्म को नोटिस जारी किये गये और बाद तामील अप्रार्थी-अपीलाण्ट फर्म द्वारा जबाब पेश किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अप्रार्थी-अपीलाण्ट फर्म से नियमानुसार राशि रूपये 2,50,88,434/- की वसूली मय ब्याज किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि निविदा सूचना बाबत सप्लाई, लेईंग, जोइण्टलिंग, टेस्टिंग, कमिशनरींग ऑफ न्यु 500 एमएमडी आई के-9के-7 पाईप लाईन, पोहरा व गजरू के संदर्भ में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या दो द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वर्क आर्डर दिनांक 07 सितम्बर 2007 को जारी किया जाकर अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या दो के मध्य एक एग्रीमेण्ट निष्पादित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसके क्लॉज 23 के अनुसार यदि दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा किया जाना था। मगर ऐसा कोई वाद अथवा विवाद/क्लेम स्टेण्डिंग कमेटी के समक्ष नहीं रखा गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या दो के मध्य कोई विवाद का निस्तारण एग्रीमेण्ट की शर्तो के अनुरूप नहीं किया गया और किसी स्टेडिंग कमेटी/न्यायालय/अधिकरण/मध्यस्थ द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या दो के बीच उत्पन्न मतभेद का निस्तारण नहीं किया गया है। वर्क आर्डर दिनांक 07 सितम्बर 2007 की शर्तो से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व अधिक वर्क नहीं किया जायेगा व काम को पूरा करने की समय सीमा 6 माह थी, रेस्पो. का यह उत्तरदायित्व था कि वह 10 दिन के अन्दर ले-आउट प्लान देवें, मगर उक्त वर्क आर्डर जारी करने के बाद कई महीनों तक अपीलाण्ट द्वारा मांग किये जाने पर भी रेस्पो. द्वारा किसी भी प्रकार का ले-आउट प्लान नहीं दिया गया और न ही कार्य हेतु एम. बी. संबंधित अधिकारी को जारी की। जिस कारण अपीलाण्ट द्वारा समय पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका और एग्रीमेण्ट में वर्णित कार्य सम्पूर्ण करने हेतु नियत 6 माह की अवधि ही समाप्त हो गयी। दिनांक 22 फरवरी 2013 को अपीलाण्ट को राशि रूपये 2,50,88,434/- की वसूली बाबत नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें बकाया राशि की गणना का कोई आधार नहीं बताया गया। उक्त नोटिस के पूर्व धारा 3 अधिनियम 1952 के तहत विभाग द्वारा वसूली बाबत जो पत्र जिला कलेक्टर को लिखा गया, उसकी कोई प्रति अथवा सूचना भी अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधिनियम 1952 की धारा 2(5) में पब्लिक रिकवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की परिभाषा के अनुसार पब्लिक डिमाण्ड का आशय ऐसी बकाया राशि से है जो कि अधिनियम के शेड्युल में दर्शायी हुई है। मगर वर्तमान मामले में जो बकाया वसूली की राशि दर्शायी गयी है, वह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की ड्यु राशि नहीं है और न ही इसके सबंध में किसी सक्षम अधिकारी अथवा अधिकरण अथवा पंच निर्णायक द्वारा पंचाट जारी किया गया है। किन्तु इन सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अधिनियम, 1952 के प्रावधान मात्र वसूली के लिए है, अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा अथवा सक्षम सुलह अधिकारी द्वारा पक्षकारान की सुनवाई के बाद कायम की गयी किसी मांग की वसूली अधिनियम 1952 के तहत की जा सकती है। विवादित मांग की वसूली अधिनियम, 1952 के तहत नहीं की जा सकती। आलौच्य मामले में अधिनियम, 1952 के प्रावधान इनवॉक किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट के खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम सुलह अधिकारी द्वारा कोई मांग विधिवत कायम नहीं की गयी है। अतः अधिनियम, 1952 आलौच्य मामले में किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा लक्ष्मी केमिकल्स बनाम राजस्व मण्डल के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित मत का उल्लेख करते हुए अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की समुचित समय में जानकारी नहीं हुई, जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

याचिका प्रस्तुत करने की सलाह दी, मगर काफी दिन विचार करने के बाद उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि मामले में अपील का प्रावधान है, अतः अपील करना उचित रहेगा। इस प्रकार आलौच्य अपील पेश करने में सद्भाविक विलम्ब हुआ, जो कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया। लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील में वर्णित तमाम वाक्यात निहायत ही मनगढन्त एवं बेबुनियाद होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का आचरण कभी भी वर्क ऑर्डर एवं तत्संबंधित एग्रीमेण्ट की पालना करने का नहीं रहा है। रेस्पो. संख्या दो की ओर से जारी नोटिस आदि का अपीलाण्ट द्वारा नियत समय में जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया और आलौच्य अपील भी निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है जिसके संबंध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 में जानकारी की दिनांक रिक्त छोडी हुई है। साथ ही विलम्ब के संतोषप्रद एवं युक्तियुक्त कारण भी नहीं दर्शाये गये है। इस कारण भी अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. संख्या दो द्वारा जरिये पत्रांक 7606 दिनांक 18 अक्तूबर 2007 के द्वारा संविदा में वर्णित कार्य हेतु वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था, जिस बाबत अपीलाण्ट फर्म द्वारा अनुबंध का निष्पादन भी कर दिया गया था। अतः अपीलाण्ट द्वारा यह कहा जाना कतई सही नहीं है कि रेस्पो. संख्या दो द्वारा एग्रीमेण्ट के अनुसार निर्धारित समयावधि में वर्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऑर्डर एवं एम.बी. जारी नहीं किये गये। राजकीय अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अनुबंध के क्लॉज 23 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई . अनुबंधकर्ता (ठेकेदार) किसी कार्य को विवादित समझे तो निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन इंजीनियर इंचार्ज को सौंपेगा, जिसे इंजीनियर इंचार्ज तीन माह की अवधि में आगे कमेटी को प्रस्तुत करेगा। मगर ऐसा कोई आवेदन अपीलाण्ट द्वारा इंजीनियर इंचार्ज के समक्ष पेश नहीं किया गया। रेस्पो. संख्या दो द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को ले-आउट प्लान जारी कर कार्य आरम्भ करने हेतु निर्देशित कर दिया था, लेकिन अपीलाण्ट द्वारा जानबूझ कर निर्धारित छः माह में न तो कार्य आरम्भ किया गया और न उक्त अनुबंध की पालना में अपीलाण्ट फर्म को हुए किसी प्रकार के व्यवधान से रेस्पो. संख्या दो को अवगत कराया गया, बल्कि दूरभाष पर ही रेस्पो. संख्या दो को कार्य आरम्भ करने हेतु आगे से आगे तारीख बताई जाती रही। अन्ततः विवश होकर रेस्पो. संख्या दो द्वारा अपीलाण्ट फर्म को नियमानुसार नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका भी अपीलाण्ट-फर्म की ओर से निर्धारित अवधि में कोई जबाब नहीं दिया गया। अतः अपीलाण्ट के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मामले में सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दस्तावेजात का समुचित विवेचन करने के उपरान्त ही पारित किया गया है। नियमानुसार आरोपित की जाने वाली पैनल्टी से बचाव के लिए अपीलाण्ट फर्म द्वारा बहाने तलाशे जा रहे है। यदि ले-आउट प्लान विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया तो अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत शिकायत संबंधित विभाग को क्यों नहीं की गयी। अपनी बहस के समर्थन में राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध अपील संख्या 4084/2015 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम जिला कलेक्टर जयपुर व अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनांक 14 अक्तूबर 2015 [2016(4) डब्ल्यु.एल.एन. (राज.) 884] की ओर आकर्षित किया एवं अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 में अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी होने की दिनांक रिक्त छोडी हुई है। साथ ही विलम्ब के संतोषप्रद एवं युक्तियुक्त कारण भी नहीं दर्शाये गये है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने तथा युक्तियुक्त कारणों के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है और इस कारण अपील अपीलाण्ट के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

इस उपरान्त भी मामले के गुणावगुण के संबंध में विचार करने पर आलौच्य मामले में अपीलाण्ट-फर्म को वर्क-आर्डर दिनांक 07 सितम्बर 2007 को जारी होना स्वयं अपीलाण्ट-फर्म द्वारा स्वीकृत तथ्य है। जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सर्किल जैसलमेर तथा अधिशासी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जैसलमेर को पृष्ठांकित की गयी। रेस्पो. संख्या दो द्वारा कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर के पत्र 3578-80 दिनांक 17 अक्तूबर 2007 के संदर्भ से अपीलाण्ट-फर्म के पक्ष में उक्त कार्य बाबत 7606-13 दिनांक 18 अक्तूबर 2007 जारी किया गया। इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट-फर्म एवं विभाग के मध्य एग्रीमेण्ट भी निष्पादित किया जाना दोनों पक्षों की ओर से जाहिर किया गया है। किन्तु वर्क-आर्डर एवं उक्त एग्रीमेण्ट की शर्तो के अनुसार अपीलाण्ट-फर्म द्वारा निर्धारित समय पर कार्य आरम्भ एवं समाप्त नहीं किये जाने के कारण वसूली योग्य राशि का अपीलाण्ट-फर्म द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि विभाग द्वारा उसे निर्धारित समयावधि ले-आउट प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया, इस कारण निर्धारित समयावधि में कार्यारम्भ एवं समाप्त नहीं हो पाया। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि निष्पादित अनुबंध के क्लॉज 23 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को विवादित समझे तो निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन इंजीनियर इंचार्ज को सौंपेगा, जिसे इंजीनियर इंचार्ज तीन माह की अवधि में आगे कमेटी को प्रस्तुत करेगा। मगर ऐसा कोई आवेदन अपीलाण्ट द्वारा इंजीनियर इंचार्ज के समक्ष पेश किया जाना प्रकट नहीं होता है। जाहिर है कि निर्धारित छः माह की अवधि में अपीलाण्ट द्वारा न तो कार्य आरम्भ किया गया और न उक्त अनुबंध की पालना में अपीलाण्ट फर्म को हुए किसी प्रकार के व्यवधान से एग्रीमेण्ट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया। उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट-फर्म द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2007 को किये गये आवेदन के आधार पर विभाग के द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 3938-41 दिनांक 26 नवम्बर 2007 के आधार पर जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपीलाण्ट-फर्म के पक्ष में एक्साईज ड्यूटी एक्जम्पशन सर्टीफिकेट दिनांक 28 नवम्बर 2007 को जारी किया गया, जो विभाग द्वारा जरिये पत्र कमांक 4034-41 दिनांक 28 नवम्बर 2007 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट-फर्म को भिजवाया गया। इससे जाहिर है कि विभाग द्वारा अपीलाण्ट-फर्म के साथ वांछित सहयोग किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है कि विभाग द्वारा सहयोग नहीं किया गया और समय पर ले-आउट प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्क-आर्डर एवं अनुबंध के अनुरूप निर्धारित समयावधि में तयशुदा कार्य पूर्ण नहीं होने पर रेस्पो. संख्या दो द्वारा अपीलाण्ट-फर्म को समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गये जिनकी प्रतियां विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इनमें विभाग द्वारा अपीलाण्ट-फर्म को माह नवम्बर 2007 में ले-आउट प्लान उपलब्ध करवा दिया जाना भी उल्लेखित है। इन नोटिसों का कोई जबाब अपीलाण्ट-फर्म द्वारा समुचित समय में दिया जाना नहीं पाया जाता है। वर्क-आर्डर एवं अनुबंध के अनुरूप निर्धारित समयावधि में तयशुदा कार्य अपीलाण्ट-फर्म द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अन्ततः विभाग द्वारा अन्य फर्म (मैसर्स एम.एम.एण्टरप्राइजेज,जोधपुर) को कार्यादेश जारी किया गया औरएग्रीमेण्ट के क्लॉज 3 के अनुरूप अन्तर राशि की अपीलाण्ट-फर्म से वसूली की कार्यवाही आरम्भ की गयी। चूंकि वर्क-आर्डर एवं अनुबंध के अनुरूप निर्धारित समयावधि में तयशुदा कार्य अपीलाण्ट-फर्म द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर बकाया कार्य अन्य ठेकेदार से करवाये जाने की स्थिति में अन्तर राशि मूल ठेकेदार से वसूली बाबत एग्रीमेण्ट के क्लॉज 3 में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वसूली एवं वसूली योग्य राशि के निर्धारण बाबत विभाग को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई पंचनिर्णय की आवश्यकता नहीं रहती है। मूल ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया कार्य किसी अन्य ठेकेदार से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कराये जाने की लागत का अन्तर ही बकाया वसूली की राशि के निर्धारण का आधार है, अतः इस संबंध में एग्रीमेण्ट के क्लॉज 23 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। विभाग की ओर से आवेदन प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की पालना करते हुए निर्धारित प्रकिया के अनुरूप प्रपत्र 2 व 3 में प्रमाणपत्र जारी किया जाकर अपीलाण्ट-फर्म को नोटिस दिये गये, जिनकी विधिवत तामील होने के बाद अपीलाण्ट-फर्म की ओर से प्रस्तुत जबाब तथा उभय-पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं विधिक प्रावधानों बाबत समुचित विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित होने एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 अप्रेल 2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.02.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर